न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 77/2017 अपील

श्री उगमा पिता बालू कुम्हार निवासी परासोली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, आसीन्द बमामले
प्रकरण सं0 21/2017 निर्णय दिनांक 13.02.2017

उपस्थित –
श्री संजय सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.06.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार आसीन्द बमामले प्रकरण सं0 21/2017 निर्णय दिनांक 13.02.2017 के खिलाफ दिनांक 23.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम परासोली के आराजी नम्बर 27,2681/27 रकबा 0.10 हैक्ट. भूमि किस्म बारानी गे.मु. कब्रिस्तान पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है। इस अतिक्रमण मामले में अपीलार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरूद्व मामला दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 13.02.2017 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को 60 दिवस का साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया व उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश व शास्ति लगान 1.75 का 50 गुणा 88/–रू. अधिरोपित कर मौके से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिये गये निर्णय / दण्ड आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अपीलार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

केवल मात्र साक्षर व्यक्ति हैं । अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित अवश्य हुआ था, किन्तु अपीलार्थी ने कभी भी उपरोक्त 0.10 हैक्ट0 भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में क्या वर्णित किया गया , इसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया व अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय दण्ड आदेश पारित किया जो अपास्त योग्य है। अपीलार्थी का उक्त भूमि में कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमण कभी नहीं रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भारी भूल की हैं जिससे उक्त निर्णय अपास्त होने योग्य है। अपीलार्थी गरीब काश्तकार हैं । अपीलार्थी ने अपना कब्जा हटा लिया है। एवं भविष्य में भी कोई कब्जा नहीं करेगा। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.03.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी पर अपना कब्जा नहीं होने व कब्जा छोड़ देने के बावजूद भी पटवार हल्का रिपोर्ट आधार पर उक्त निर्णय / दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर बयान लेकर उक्त निर्णय /दण्ड आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित कार्यवाही समाप्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री उगमा पिता बालू कुम्हार निवासी परासोली के द्वारा ग्राम परासोली के आराजी नं. 27,2681/27 किस्म बारानी गे.मु. कब्रिस्तान रकबा 0.10 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रकरण सं. 21/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर उगमा पिता बालू कुम्हार द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः

अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 60 दिवस के साधारण कारावास एवं शास्ति 88/–रू. से दिनांक 13.02.2017 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। उक्त अतिक्रमण आराजी नं. 27,2681/27 किस्म बारानी गे.मु. कब्रिस्तान रकबा 0.10 हैक्ट. भूमि आवंटन नियमन योग्य भी नहीं है । अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार आसीन्द का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि वर्तमान में उक्त आराजी नं. 27,2681/27 रकबा 0.10 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बारानी गे.मु. कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है । अतिक्रमी का उक्त अतिचार पश्चातवर्ती होकर विगत वर्ष भी अतिक्रमी ने उक्त भूमि पर अतिचार किया। जिसकी मिसल कायम कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने एवं शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का ने अतिक्रमी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली नामा प्रस्तुत कर भौतिक रूप से बेदखल किया परन्तु अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण कर लिया । उक्त आराजी किस्म बारानी गे.मु. कब्रिस्तान भूमि है । अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 27,2681/27 रकबा 0.10 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बारानी गे.मु. कब्रिस्तान पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 60 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 88/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुआ और उसके द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अपना अतिक्रमण भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त राजकीय बिलानाम भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष शपत्र पेश कर यह निवेदन किया कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीलबाग (राज.)

उक्त आराजी पर से कब्जा हटा लिया गया हैं, एवं भविष्य में कभी उक्त आराजी या सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करूगां । अपीलार्थी द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा से अपीलार्थी के साधारण कारावास की सजा को माफ किया किया जाना एवं शास्ति दण्ड को यथावत रखे जाने योग्य होने से अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, आसीन्द बमामले प्रकरण सं0 21 /2017 निर्णय दिनांक 13.02.2017 के कम में आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.02.2017 में अपीलार्थी के विरूद्व आरोपित शास्ति दण्ड को यथावत रखा जाता हैं एवं 60 दिवस के साधारण कारावास की सजा माफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आसीन्द को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/06/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा(राज.)